तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि - • प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 482/53 की रकबा 1.61 HCT वाके ग्राम हीरापुर पटवार हल्का मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिसकी प्रार्थी फर्म खातेदार दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। • उक्त आराजी का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थी फर्म ने सक्षम अधिकारी भू-प्रबन्ध कोटा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 05.03.2025 को प्रार्थी की आराजी का मौके पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाइश कर मुटाम स्थापित कर सीमा ज्ञान करा दिया गया था। • प्रार्थी फर्म उपरोक्त आराजी की	

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	पत्थरगढ़ी कराना चाहती है, जिससे भविष्य में प्रार्थी की आराजी अतिक्रमण से सुरक्षित रहे और प्रार्थी फर्म की आराजी पर अन्य द्वारा कब्जा किये जाने का भय समाप्त हो जावे एवं फर्म को दिगर विवादों में उलझना नहीं पड़े।
	प्रार्थना:-
	प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढ़ी कराने की स्वीकृति प्रदान की जावे।
	* प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ सुपर इम्पोज सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 05/03/25 की प्रमाणित प्रति तथा पालना रिपोर्ट दिनांक 20/03/25 की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है।
	* सीमांकन रिपोर्ट को स्पष्ट करने हेतु पटवारी हलका तथा ICR को तलब किया गया।
	* पटवारी तथा ICR द्वारा सीमांकन रिपोर्ट के साथ बनाया गया नक्शा भी प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	* बहस सुनी गई।	
	* विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रार्थी की एक सीमा सही स्थान पर नहीं है। प्रार्थी अपनी सीमाओं के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिस स्थान पर सीमा का विवाद है, वह सिवायचक भूमि है, जिस पर किसी ग्राम वासी द्वारा कब्जा किया हुआ है तथा वह सीमा निर्धारण में समस्या उत्पन्न कर रहा है।	
	* हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।	
	* हमने धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित मार्गदर्शन प्राप्त किया।	
	* धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के अनुसार - धारा 128. सीमाविवाद - सीमा सम्बन्धी	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	समस्त विवाद भू. अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे। धारा 111, राजस्थान भू. राजस्व अधि. के अनुसार - धारा 111. सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा - (1) किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लैंड रिकार्ड अधिकारी, जहाँ तक संभव हो, वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हों तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर भू. प्रबन्ध विभाग की टीम व राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे का कार्य किया जाकर निम्न रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तैयार की गई है – – " राजस्व दल द्वारा उपलब्ध करवाये नक्शे पर सुपर इम्पोज कार्य किया गया। राजस्व दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये नक्शे में मिंयन खसरा नम्बर 70 गैर मुमकिन बावडी, ख. सं. 118 गै. मु. कुँआ, ख. नं. 208 की उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी मेड़, ख. नं. 206, 207, 208 के मध्य मिंयन त्रिमेडा, ख. नं. 206, 208, 209 के मध्य मिंयन त्रिमेडा, ख. सं. 201 गै. मु. कुँआ, ख सं. 203 की पश्चिमी मेड़ को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए सुपर इम्पोज कार्य किया गया। सुपर इम्पोज नक्शे में काली स्याही से मानचित्र नक्शा, लाल स्याही से DGPS मौका सर्वे दर्शाया गया है।" • उक्त संयुक्त सर्वे दल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का अवलोकन किया। • विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का दौराने बहस कथन रहा है कि वर्तमान में सीमा सम्बन्धी विवाद केवल सरकार के स्वामित्व की सिवायचक भूमि तथा प्रार्थी की भूमि के	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	मध्य सीमा का निर्धारण किया जाना है। उक्त तथ्य का समर्थन उपस्थित पटवारी व ILR द्वारा भी किया गया है।
	* उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का आवेदन बाबत सीमा निर्धारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।
	* अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधि० स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाना है कि ग्राम हीरापुर प.ह. मांदलिया स्थित प्रार्थी के खाते की आराजी ख.नं. 482/53 रकबा 1.61 Hct का भू. प्रबन्ध विभाग तथा राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर प्रश्नगत आराजी की सीमाओं का निर्धारण कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। यदि प्रार्थी के कथनानुसार मौके पर किसी भी विवाद की सम्भावना हो तो

उपखण्ड अधिकारी
को.[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के खर्चे पर वक्त पत्थरगढ़ी पुलिस की व्यवस्था की जावे। * निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। * पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 18/06/2025 उपखण्ड अधिकारी कोटा	